


राज्यपाल कार्यालय  
राज्यपाल (सुप-४) विभाग



71  
2

प्रपत्र (ओ)  
क्रमांक F 2 (15) शज 8/8) विज्ञापित

बू कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में भववा उम पर सरकार के घोर प्राईवेट ध्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की बात घोर उनका प्रमिलेखन राजस्थान अधिनियम, १९५३ ( १९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या ११ ) की धारा २६ की उप-धारा ( १ ) के अधीन जारी की गई विज्ञापित के अनुसरण में किया जा चुका है।

धतः प्रब उपसुक्त अधिनियम की धारा २६ की उप-धारा ( १ ) के द्वारा प्रबत धक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा धोधित करती है कि कथित अधिनियम के मध्याय ५ के अनुकध, पूर्वोक्त वन-भूमि घोर बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्सम्बन्धित रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आह्वा से,  
उप शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वृत्त-खण्ड	मोबा	भूमिगत क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६

सीमा विवरण परिशिष्ट  
( अ ) संलग्न है

नाम	परमत्तर	वर्गफल	(१) नैलैणरी	५०६.५२
			(२) पुन्धियाल	५७५.४
			(३) धारजधत	५४.०
			(४) मध्यापुर	६२४.१६
			(५) रंजल	२१३०.४३
			(६) बली	७९६.३४

योग ५७७१.५४ ९ एकड़

१९.३ वर्ग किलो मीटर

(जायचन्द)  
उप वन संरक्षक  
नागौर